

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 663

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कार्य-बल

663. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में पिछले वर्ष अक्तूबर तक नाबालिगों के उत्पीड़न के 875 से अधिक मामलों तथा उनके साथ बलात्कार के 805 मामलों के बारे में खबर मिली है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस वर्ष बच्चों के साथ हुए अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक कार्य-बल गठित करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) नाबालिग पीड़ितों का पुनर्वास करने और उन्हें चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार ने क्या किया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, जनवरी से अक्तूबर, 2014 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में बच्चों के बलात्कार के कुल 644 मामलों और महिलाओं (बालिकाओं) पर उनका शील भंग (छेड़छाड़) करने के इरादे से हमले के 744 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। एनसीआरबी के अनंतिम मासिक अपराध संबंधी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं (बालिकाओं) के बलात्कार और उन पर हमले के तहत माह-वार पंजीकृत मामले अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय है और इसलिए बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। गृह मंत्रालय केवल स्कीमों, परामर्शी-पत्रों आदि जैसे विभिन्न सकारात्मक उपायों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देता है।

(ड): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पहले ही देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के समग्र विकास के लिए सुरक्षित वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम (आईसीपीएस) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। आईसीपीएस में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान है। कार्यक्रमों और गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ आयु के अनुरूप शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता, मनोरंजन, पूरक शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कार्यक्रम (एनओएसपी) के साथ जोड़ना, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि शामिल हैं।

वर्ष 2014 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बालात्कार और महिलाओं पर उनका शील भंग (छेड़छाड़) करने के इरादे से हमले के तहत दर्ज माह-वार मामले
(अनंतिम)

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	योग
1	बालात्कार (भा.दं.सं. की धारा 376)	59	67	60	57	62	60	67	92	63	57	644
2	महिलाओं (बालिकाओं) पर उनका शील भंग (छेड़छाड़) करने के इरादे से हमला (भा.दं.सं. की धारा 354 के तहत)	60	74	62	48	74	74	73	86	126	67	744

स्रोत: मासिक अपराध संबंधी आंकड़े

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं

वर्ष 2014 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध के तहत पंजीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मामले (अनंतिम)

क्र. सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	शिशु बध	बलात्कार	महिलाओं (बालिकाओं) पर उनका शील भंग करने के इरादे से हमला	महिलाओं (बालिकाओं) का शील भंग	बच्चों का अपहरण और व्यप-हरण	भ्रूण हत्या	बच्चों को आत्म हत्या के लिए उकसाना	दौड़ना/परित्याग करना	नाबालिग लड़कियों की खरीद	नाबालिग लड़कियों का आयात	वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों को खरीदना	वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों को बेचना	बाल विवाह निषेध अधिनियम	मानव अंगों का प्रत्या-रोपण अधिनियम	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन अधिनियम)	दुर्व्यापार (रोकथाम) अधिनियम	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम	यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम	अप्राकृतिक अपराध (18 वर्ष आयु से कम)	शिशु दुग्ध का विकल्प, फीडिंग बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति, संवितरण का विनियमन) अधिनियम	जन्म-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम	बच्चों के प्रति किए गए अन्य अपराध	बच्चों के प्रति कुल अपराध
1	आंध्र प्रदेश	37	5	590	332	161	633	0	4	35	74	0	0	2	14	0	0	10	55	206	8	0	0	344	2510
2	अरुणचल प्रदेश	2	0	49	33	1	49	0	0	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	158
3	असम	13	0	90	23	19	402	0	0	0	1018	0	0	17	2	0	3	8	10	255	5	0	0	21	1886
4	बिहार	55	2	40	33	2	410	1	1	3	249	54	1	8	0	4	5	7	2	0	5	0	0	143	1025
5	छत्तीसगढ़	5	12	0	0	0	1380	0	3	45	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1461
6	गोवा	1	0	45	38	7	144	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	83	326
7	गुजरात	82	3	300	220	2	1848	3	0	114	8	2	0	0	15	0	9	7	13	1	17	0	0	74	2718
8	हरियाणा	32	9	9	260	3	547	14	1	23	221	0	0	0	10	0	1	67	18	4	60	2	4	243	1528
9	हिमाचल प्रदेश	3	1	113	44	1	210	2	0	9	10	0	2	0	1	0	0	5	5	1	4	0	0	8	419

10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	झारखंड	9	8	68	9	0	101	0	0	0	30	3	1	6	1	0	1	85	9	16	3	0	0	12	362
12	कर्नाटक	112	2	725	116	0	1269	0	0	129	187	0	0	0	29	0	16	9	118	515	0	0	0	0	3227
13	केरल	39	0	709	193	13	118	0	6	5	9	0	0	0	15	0	0	0	278	445	84	0	0	368	2282
14	मध्य प्रदेश	74	29	1235	1703	79	5450	82	10	123	61	7	1	3	2	0	3	1	0	63	40	0	5	1909	10880
15	महाराष्ट्र	161	17	1567	2016	174	2655	16	12	202	66	4	6	0	8	3	109	132	287	201	107	0	3	588	8334
16	मणिपुर	8	1	22	9	0	39	0	0	0	17	1	0	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	15	122
17	मेघालय	1	2	39	7	2	17	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	1	0	44	1	0	2	6	131
18	मिजोरम	1	0	66	33	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	0	0	10	123
19	नागालैंड	1	1	5	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
20	ओडिशा	13	4	462	147	98	831	1	0	2	50	0	0	5	1	0	0	0	28	84	3	0	0	64	1793
21	पंजाब	27	10	385	145	3	928	7	0	20	56	2	0	0	0	0	1	12	0	15	27	0	0	20	1658
22	राजस्थान	21	30	439	213	13	542	23	7	200	75	1	0	2	5	0	7	37	35	252	30	0	0	39	1971
23	सिक्किम	1	0	45	3	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
24	तमिलना डु	43	5	280	12	6	257	0	0	5	9	0	0	0	36	0	3	4	502	484	6	0	0	105	1757
25	तेलंगाना	22	3	284	302	107	302	5	3	29	24	0	0	0	6	0	0	2	24	78	7	0	1	237	1436
26	त्रिपुरा (अक्तूबर 2014)	4	1	65	19	0	36	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	6	145

27	उत्तर प्रदेश	184	11	1053	1568	61	4837	1	0	10	4	10	0	2	2	0	5	13	17	1589	81	0	14	189	9651
28	उत्तराखंड	8	0	20	7	1	63	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	22	129
29	पश्चिम बंगाल	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	0
	कुल((राज्य)	959	156	8705	7489	755	23083	155	48	960	2226	84	11	48	147	7	167	400	1407	4270	492	2	29	4506	56106
30	अं.नि. द्वीपसमूह	1	0	19	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	43
31	चंडीगढ़	0	1	27	18	1	116	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	0	0	14	193
32	दादरा एवं नगर हवेली	1	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
33	दमण एवं दीव	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7
34	दिल्ली	36	3	747	879	62	6024	5	4	15	1	0	0	3	0	1	58	0	86	107	94	0	0	168	8293
35	लक्षद्वीप	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36	पुडुचेरी	1	0	0	0	1	26	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	2	6	3	0	0	1	45
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	39	4	797	905	64	6181	6	5	19	1	0	0	3	3	1	58	4	99	113	102	0	0	186	8590
	कुल (अखिल भारत)	998	160	9502	8394	819	29264	161	53	979	2227	84	11	51	150	8	225	404	1506	4383	594	2	29	4692	64696